प्रेषक.

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

जनपद- एटा।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एम. एण्ड ई. भ्रमण / 2018-19 / 105 / ५५ ७ | दिनांक २५,08.2019

विषय-दिनांक 24 से 27 जून, 2019 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदया.

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या—SPMU/NHM/ M&E/2019-20/18/2220 दिनांक 12.06.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मिशन निदेशक के निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 24 से 27 जून, 2019 तक जनपद एटा का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया तथा समीक्षा कर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य स्तरीय दल द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही करते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवद्रीय,

(मो० असाचर रब)

उपमहाप्रबन्धके, कम्यू०प्रो० नोडल अधिकारी—अलीगढ

तददिनांक

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एम. एण्ड ई. भ्रमण / 2018–19 / 105 / प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।

2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद एटा।

- 3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेतु जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ, मण्डल– अलीगढ।

5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, अलीगढ।

6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद एटा को इस निर्देश के साथ कि उक्त आख्या का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(मो० अलाउर रब) उपमहाप्रबन्धक, कम्यू०प्रो० नोडल अधिकारी—अलीगढ

## भ्रमण आख्या जनपद-एटा

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के पत्र संख्या—SPMU/NHM/M&E/2019-20/18/2220 दिनांक 12.06.2019 के अनुपालनार्थ दिनांक 24—27 जून, 2019 को भ्रमण दल द्वारा जनपद एटा का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। भ्रमण दल के सदस्यों का विवरण निम्नानुसार है:—

1. डा० राज किशोर त्रिपाठी, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।

2. श्री बलराम तिवारी, **रीजनल कोआर्डिनेटर (स्टेट)**, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की गयी इकाईयाँ :--

- 1. जिला चिकित्साल, एटा।
- 2. जिला महिला चिकित्सालय, एटा।
- 3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जलेसर।
- 4. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निधौली कलाँ।
- 5. उपकेन्द्र पिलुवा (एल-1), विकास खण्ड निधौली कलाँ।
- 6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागवाला (एच.डब्ल्यू.सी.)।
- 7. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डी समिति।

जनपद की सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की विस्तृत आख्या निम्नवत् है :-

क्र. स.	चिकित्सा इकाई	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
1	जिला चिकित्सालय	<ul> <li>चिकित्सालय में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है।</li> <li>चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर उपलब्ध व्हील चेयर का पायदान टूटा हुआ (रस्सी बंधी) है।</li> <li>चिकित्सालय में हेल्प डेस्क की स्थापना मानकानुसार नहीं की गयी है।</li> <li>चिकित्सालय में सिटीजन चार्टर नहीं लगायाग्या है।</li> <li>मर्ती मरीजों के बेड की चादर गंदी व फटी हुयी थी।</li> <li>चिकित्सालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों द्वारा वार्ड में राउण्ड नहीं किया जाता है।</li> <li>चिकित्सालय में स्थापित एन,आर.सी. में मानकानुसार बेड नहीं है।</li> <li>चेकित्सालय में लगा हुआ आर.ओ. खराब है।</li> <li>रोगी कल्याण समिति का विगत वित्तीय वर्ष का ऑडिट नहीं कराया गया है।</li> <li>चिकित्सालय में आई.एल.आर. उपलब्ध नहीं है।</li> <li>चिकित्सालय में आई.एल.आर. उपलब्ध नहीं है।</li> </ul>	जाने का सुझाव दिया गया।  • भ्रमण के दौरान मौजूद मैटर्न को निर्देशित किया गया कि वार्ड का प्रतिदिन भ्रमण किया जाये और यथास्थिति से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महोदय को अवगत कराया जाये।  • चिकित्सालय में दिशा—निर्देशों के अनुरूप एन.आर.सी. के बेड की उपलब्धता का सुझाव दिया गया।  • पेयजल की समुचित व्यवस्था कराये जाने का सुझाव दिया गया।  • रोगी कल्याण समिति का विगत वित्तीय वर्ष का ऑडिट नियमानुसार कराये जाने का सुझाव दिया गया।  • विकित्सालय में आई.एल.आर. की उपलब्धता हेतु सुझाव दिया गया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला प्रतिरक्षण अधिकारी महोदय से अनुरोध किया जाये, यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो राज्य स्तर पर मॉग—पत्र प्रेषित किया जाये।	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई / राज्य स्तर
2	जिला महिला चिकित्सालय	<ul> <li>लेबर टेबल पर कैलिशपैड पंचर पाये गये।</li> <li>चिकित्सालय में चिकित्सकों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है।</li> </ul>	<ul> <li>कैलिशपैड हवायुक्त व बनाये रखने का सुझाव दिया गया।</li> <li>चिकित्सालय में चिकित्सकों के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था कराये जाने का सुझाव</li> </ul>	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य

		<ul> <li>प्रसूता को डिस्चार्ज करते समय किसी कार्मिक / विकित्सक का हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है।</li> <li>पी.एन.सी. वार्ड में किसी भी प्रकार की आई.ई. सी. नहीं की गयी थी।</li> <li>माह अप्रैल, 2019 से माह जून, 2019 तक कुल 603 प्रसव कराये गये हैं।</li> <li>जो.एस.एस.के. पंजिका समुचित रूप से नहीं तैयार की जा रही है।</li> <li>चिकित्सालय में कार्यरत कार्जन्सलर्स के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था नहीं है।</li> <li>चिकित्सालय में ए.एन.सी. हेतु पेट की जाँच के लिये समुचित व्यवस्था नहीं है।</li> <li>पी.एन.सी. वार्ड में अत्यधिक गर्मी थी व शौचालय अत्यन्त गंदा था।</li> <li>पी.एन.सी. वार्ड में अत्यधिक गर्मी थी व शौचालय अत्यन्त गंदा था।</li> </ul>
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र,	<ul> <li>भ्रमण के समय चिकित्सालय के गेट पर 108 एम्बुलेन्स सेवा के वाहन संख्या— UP 41 G 2993 का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पर्दे खराब है, वाहन की ए.सी. अक्रियाशील है। वाहन में इमरजेन्सी किट उपलब्ध नहीं थी। बी.पी. मशीन व स्टेथोस्कोप एक वर्ष से खराब है। वाहन के गेट में शीशा नहीं है।</li> <li>विगत भ्रमण वल द्वारा दिये गये सुझावों पर अनुपालन नहीं कराया गया है।</li> <li>विगत भ्रमण वल द्वारा दिये गये सुझावों पर अनुपालन नहीं कराया गया है।</li> <li>विगत भ्रमण का अनुपालन कराये जाने का सुझाव दिया गया।</li> </ul>
	जलेसर	<ul> <li>लेबर रूम के कैलिसपैड पंचर हैं।</li> <li>प्रसव कक्ष में एत्बोटैब नहीं लगायी गयी है।</li> <li>प्रसव कक्ष को सुव्यवस्थित करने का सुझाव दिया गया।</li> <li>चिकित्सालय में दो नियमित व दो संविदा स्टाफ नर्स की तैनाती की गयी है। भ्रमण के समय कोई भी स्टाफ नर्स उपस्थित नहीं थी।</li> <li>जे.एस.एस.के. के अन्तर्गत मानकानुसार मोजन नहीं दिया जा रहा है।</li> <li>पी.एन.सी. वार्ड में आई.ई.सी. का अभाव है।</li> <li>पी.एन.सी. वार्ड में आई.ई.सी. का अभाव है।</li> <li>102/108 एम्बुलेन्स से लाये गये मरीजों का कोई अभिलेख सी.एच.सी. में उपलब्ध नहीं है।</li> </ul>
4	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निधौली कलॉ	<ul> <li>माह अप्रैल, 2019 से जून, 2019 तक कुल 563 प्रसव हुये हैं जिसमें से मात्र 276 का मुगतान किया गया है।</li> <li>सी.एच.सी. निधौली कलॉ में दो एक्स-रे टेक्नीशियन की तैनाती हेतु अनुरोध पत्र प्रेषित करने का सुझाव दिया गया।</li> <li>प्रसव कक्ष हेतु साइनेज नहीं लगाये गये हैं।</li> <li>प्रसव कक्ष में ऑक्सीजन सिलेण्डर नहीं है व कैलिसपैड पंचर है।</li> <li>प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगाये गये हैं।</li> <li>प्रसव कक्ष में प्रोटोकॉल पोस्टर नहीं लगाये गये हैं।</li> </ul>

		• प्रसव कक्ष में हैण्ड वासिंग की सुविधा नहीं है।
1		• लेबर टेबल पर मेटेनटाश नहीं है।
		• प्रसव कक्ष का शौचालय क्रियाशील नहीं है।
		प्रसंव कक्ष की खिड़की का शीशा टूटा हुआ     था व पर्दा भी नहीं लगाया गया था।     प्रसंव कक्ष में निजता बनाये जाने हेतु     उचित प्रबन्ध करने का सुझाव दिया
		बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण समुचित रूप से नहीं किया जा रहा है।     बायोमेडिकल वेस्ट के समुचित निस्तारण हेतु जनपद स्तर पर पत्र प्रेषित करने का
		नवजात शिशु के वजन हेतु डिजिटल वेइंग मशीन नहीं है।     नवजात शिशु के वजन हेतु डिजिटल वेइंग मशीन को उपलब्ध कराये जाने का
		चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर अव्यवस्थित तरीके से वाहन की पार्किंग की जा रही है।     चिकित्सालय में उपलब्ध स्थान पर वाहन की पार्किंग कराये जाने का सुझाव दिया
		प्रसव कक्ष में न्यू बार्न केयर कार्नर     अव्यवस्थित रूप में पाया गया।     प्रसव कक्ष में न्यू बार्न केयर कार्नर को     दिशा—निर्देशों के अनुसार बनाये जाने
		<ul> <li>भ्रमण के समय चिकित्सालय के मुख्य द्वार</li> <li>पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर उपलब्ध नहीं थे।</li> <li>चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर स्ट्रेचर व व्हील चेयर की उपलब्धता का सुझाव</li> </ul>
		• भ्रमण के समय चिकित्सालय के गेट पर 108 एम्बुलेन्स सेवा के वाहन संख्या— UP 41 G 1247 का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि वाहन की ए.सी. अक्रियाशील है। वाहन में इमरजेन्सी किट उपलब्ध नहीं थी। बी.पी. मशीन खराब है। वाहन का स्ट्रेचर अत्यन्त दयनीय दशा में है। वाहन द्वारा कुल 408587 किमी. की दूरी तय की जा चुकी है।
5	उपकेन्द्र पिलुवा (एल—1)	• चिकित्सा इकाई में उपस्थित कार्मिकों द्वारा अवगत कराया गया कि चिकित्सालय के भवन में बिजली की वायरिंग सही तरीकें से न होने के कारण पूरे भवन में करेंट आता है। पूर्व में कई लोग करेंट की चपेट में आ चुके हैं।
		• प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलुवा हेतु साइनेज • साइनेज लगाये जाने का सुझाव दिया नहीं लगाया गया है। गया।
		<ul> <li>प्रसव कक्ष की स्थिति संतोषजनक नहीं थी।</li> <li>(लेबर टेबल, रिनंग वाटर, खिड़की, इमरजेन्सी ट्रे, सक्शन मशीन, नवजात शिशु वेइंग मशीन, एम्बु बैग, बीपी मशीन, प्रकाश व्यवस्था)</li> <li>आवश्यक लॉजिस्टिक्स का मॉग–पत्र समय—समय पर प्रेषित करने एवं प्रसव कक्ष को मानकानुसार बनाये जाने का सुझाव दिया गया।</li> </ul>
		माह जून, 2019 तक कुल 106 प्रसंव कराये     जा चुके हैं।     योजना का लाभ प्रदान करने का सुझाव     दिया गया।
		• प्रसंव पंजिका मानकानुसार नहीं बनायी गयी है। • निर्धारित प्रसंव पंजिका जनपद स्तर से प्राप्त करने का सङ्गाव दिया गया।
		• सफाई कर्मी द्वारा अवगत कराया गया कि झाडू—पोंछा की कमी रहती है। • सफाई कर्मी को आवश्यक लॉजिस्टिक्स समय पर उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।
		• चिकित्सालय परिसर में किसी प्रकार की आई. ई.सी. नहीं की गयी है। • चिकित्सालय परिसर में आई.ई.सी. कराये जाने का सुझाव दिया गया।
		चिकित्सालय में सिटीजन चार्टर नहीं लगाया     चिकित्सालय में सिटीजन चार्टर लगाये     जाने का सुझाव दिया गया।
		<ul> <li>माह अप्रैल, 2019 से भ्रमण के समय तक रोगी कल्याण समिति असम्बद्ध धनराशि में कोई भी व्यय नहीं किया गया है।</li> <li>रोगी कल्याण समिति असम्बद्ध धनराशि को दिशा—िनर्देशो के अनुरूप व्यय किये जाने एवं व्यय विवरण की प्रगति रिपोर्ट</li> </ul>

			मासिक आधार पर ब्लॉक स्तरीय सी.एच. सी. को उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया।	
6	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बागवाला (एच.डब्ल्यू, सी.)	<ul> <li>भ्रमण के समय प्रातः 08:45 बजे चिकित्सालय का ताला नहीं खुला हुआ था जिससे चिकित्सालय आने वाले मरीज वापस लौट रहे थे।</li> <li>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में तैनात चिकित्साधिकारी को जिला जेल में भी तैनात किया गया है।</li> </ul>	चिकित्सालय को समय पर खोलने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधीक्षक / जनपद स्तर
		<ul> <li>लैब टेक्नीशियन को तीन दिवसों (मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार) के लिये तैनात किया गया है।</li> </ul>	तैनात किये जाने का सुझाव दिया गया।	
		<ul> <li>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु साइनेज नहीं लगाया गया है।</li> <li>चिकित्सालय में सिटीजन चार्टर नहीं लगाया गया है।</li> </ul>	लगाये जाने का सुझाव दिया गया।	
		<ul> <li>हेल्थ एण्ड वेलनेश सेण्टर हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक जनपद स्तर से ब्लाक स्तर/प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध नहीं कराया गया है।</li> </ul>	हेल्थ एण्ड वेलनेश संण्टर हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक जनपद स्तर से ब्लाक स्तर / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
		• एच.डब्ल्यू.सी. के दिशा–निर्देशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आरोग्य केन्द्र हेतु आवश्यक कक्षों का चिन्हाकन नहीं किया गया है।	• एच.डब्ल्यू.सी. के दिशा—निर्देशानुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आरोग्य केन्द्र हेतु आवश्यक कक्षों के चिन्हाकन करने का सुझाव दिया गया।	
		• चिकित्सालय में आई.ई.सी. नगण्य की गयी है।	• चिकित्सालय में आई.ई.सी. कराये जाने का सुझाव दिया गया।	
7	नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डी	<ul> <li>नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजकीय भवन में संचालित है जिसका प्लास्टर गिर रहा है।</li> </ul>	• भवन के मरम्मत कराये जाने का सुझाव दिया गया।	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/
	समिति	• चिकित्सा इकाई के शौचालय गन्दे पाये गये।	• चिकित्सा इकाई में साफ–सफाई कराये जाने का सुझाव दिया गया।	जनपद स्तर
		गया ।	• प्रसव-कक्ष को दिशा-निर्देशों के अनुरूप	
		• स्टॉफ ऑन ड्यूटी (वेदव्रत राय) को ऑक्सीजन सिलेण्डर खोलना एवं रेडियन्ट वार्मर चलाना नहीं आता है।	<ul> <li>स्टॉफ ऑन ड्यूटी (वेदव्रत राय) को जिला चिकित्सालय में आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान कराये जाने का सुझाव दिया गया।</li> </ul>	
			• एन.बी.सी.सी. बनाये जाने का सुझाव दिया गया।	
	1	उपलब्ध कराया गया है किन्तु पुरानी प्रसव पंजिका का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है।	• नवीन प्रसव पंजिका में प्रसव विवरण दर्ज करने का सुझाव दिया गया।	
		• चिकित्सा इकाई में गठित रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया जा रहा है।	• चिकित्सा इकाई में गठित रोगी कल्याण समिति के अन्तर्गत विभिन्न समितियों की समयानुसार बैठक आयोजित कराये जाने का सुझाव दिया गया।	

मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है। प्र (बलराम तिवारी) रीजनल कोआर्डिनेटर (स्टेट) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा

पत्रांकः सी.एम.ओ / एन०एच०एम० / कम्पलाइंस / 2019-20 / 5 9 1 8

दिनांकः 02.07.2019

1. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला पुरुष चिकित्सालय, एटा।

2. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय, एटा।

3. अधीक्षक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी—जलेसर, मिरहची, मारहरा, निधौलीकलां, शीतलपुर एवं अवागढ़, सामु० / प्रा० स्वा० केन्द्र, एटा।

4. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नगरीय प्राथमिक स्वारथ्य केन्द्र, नगला पोता एटा।

## विषयः दिनांक 25 से 27 जून 2019 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षणों मे पायी गयी कमियों को निस्तारित करने के सम्बन्ध में।

जनपद एटा में दिनांक 14 से 17 जनवरी 2019 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया था। पर्यवेक्षण के दौरान आपकी फैसिलिटी पर निम्न कमियां पायी गयी है ।

1. जिला पुरुष चिकित्सालय में काफी समय आई०एल०आर० उपलब्ध नही है।

2. जिला महिला एवं पुरुष चिकित्सालय में रोगी कल्याण समिति का रजिस्टर उपलब्ध नही है।

3. जिला पुरुष चिकित्सालय में हैल्प डैस्क कॉर्नर ओ०पी०डी० के वेटिंग एरिया में व्यवस्थित तरीके से स्थापित किया जाना है।

4. जिला पुरुष चिकित्सालय में एन०सी०डी० क्लीनिक में एन०सी०डी० डॉक्टर एवं स्टाफ नर्स को निर्देशित किया कि क्लीनिक व्यवस्थित करें क्लाइंट की काउन्सिलिंग के लिये स्पेस बनाये साथ ही एन०सी०डी० से सम्बन्धित आई०ई०सी० भी क्लीनिक में लगायें।

5. जिला पुरुष चिकित्सालय में फार्मेंसी में आवश्यक औषधि, सिटीजन चार्टर एवं व्हाइट बोर्ड दवाई

की उपलब्धता के लिये होना चाहिए।

6. जिला पुरुष चिकित्सालय में सिक्योरिटी गार्ड का वार्ड में राउन्ड होना चाहिए।

- 7. एन0आर0सी0 में खाने का मैन्यू तथा एन0आर0सी0 से सम्बन्धित सेवाओं हेतु ब्रोशर आशा एवं क्लाइंट के लिये होने चाहिए साथ ही वाल पेंन्टिंग दोबारा से होनी चाहिए जोकि पुरानी हो चुकी है।
- 8. जिला पुरुष चिकित्सालय में रोगियों के पानी पीने के लिये आर0ओ0 प्लांट को सही कराना है।
- 9. जिला महिला चिकित्सालय में न्यू बोर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट में रतनपान एवं संस्थागत प्रसव से सम्बन्धित आई0सी0 होनी चाहिए।
- 10. जिला महिला चिकित्सालय में रोगी के डिस्चार्ज होने के उपरान्त बीoएसoटीo का अधूरा डाटा तथा पेसेंट के अटेंडेंट के साइन नहीं हैं।
- 11. जिला महिला चिकित्सालय में जो भी क्लाइंट को सर्विस दी जा रही या डिस्चार्ज किया जा रहा है उस समय के रोगी को अटैंड करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के साइन नहीं हैं।
- 12. जिला महिला चिकित्सालय में अर्श काउन्सलर एवं पी०पी०टी०सी० काउन्सलर के कक्ष क्लाइंट को अटैंड करने के लिये अलग —अलग होने चाहिए।
- 13. जिला महिला चिकित्सालय के पी०पी०सी० वार्ड में पर्याप्त हवा के लिये पंखे होने चाहिए।
- 14. जिला महिला चिकित्सालय में जननी सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क भोजन के लिये प्रोपर किचिन में खाना नहीं बनाया जा रहा था।
- 15. समस्त इकाईयों में जे0एस0वाई0 वार्ड की स्थिति साफ— सुथरी नही थी।
- 16. कैली पैड पंचर था।
- 17. दवाईयां एक्सपाईरी डैट थी।
- 18. वैवी कोर्नर नहीं था।
- 19. म्यूकस स्ट्रेक्टर नही है।
- 20. ड्यूटी चार्ट नही था।
- 21. शोचालय व बाथरूम गंदा मिला।
- 22. सफाई कर्मी
- 23. इनडोर, आउटडोर रजिस्टर नही है।

- 24. बी०एस०टी० फार्म नही थे।
- 25. वाईक परिसर के अन्दर खड़ी हो रही है।
- 26. आशा वाउचर संगीनी द्वारा आनी चाहिए संगीनी वाईस आने चाहिए।
- 27. जे0एस0वाई0 की पेन्डेन्सी हर ब्लाक की रह रही है सुधार लाया जाये।
- 28. सभी एम0ओ0आई0सी0 जे0एस0वाई0 रूम में एन्ट्री दिखाए सभी रजिस्टर चैक करें।
- 29. लेवर रूम रजिस्टर चैक करें।
- 30. आशा द्वारा कुपोषित की रेफरल स्थिति जिले पर कम है।
- 31. बी०पी०एम०यू० ब्लाक पर दिखाई दे स्लिप लिखी हुई।
- 32. परामर्श केन्द्र भी सुव्यवस्थित होना चाहिए जो कि डी०एच० पर नही था।
- 33. बी०सी०पी०एम० अपने कार्य से सम्बन्धित रजिस्टर तैयार करे तथा अगली विजिट में सभी रजिस्टर मिले।
- 34. आशा व संगिनी वाईज रजिस्टर बना कर विन्दुवार चर्चा करें।
- 35. बी०सी०पी०एम० टी०ए०डी०ए० हर माह क्लेम करें।
- 36. वी०एच०एस०एन०सी० बी०सी०पी०एम० एम०आई०एस० में अपडैट करें।
- 37. वी०एच०एस०एन०सी० एकाउन्ट जल्द खुलवायें।
- 38. बी०पी०एम०यू० स्टाक रजिस्टर।
- 39. बी०पी०एम०यू० खर्चा दो दिन के अन्दर दे डी०पी०एम०यू० को उपलब्ध करायें।
- 40. आशा क्लस्टर चार्ट।

उक्त समस्त किमयों का निस्तारण कर 07 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

> मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एटा

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. मिशन निदेशक, एन०एच०एम०, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, लखनऊ।
- 2. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार अलीगढ मण्डल अलीगढ।
- 3. जिलाधिकारी महोदय, एटा।
- 4. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, अलीगढ, मण्डल अलीगढ।
- 5. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, एटा।
- 6. श्री बलराम तिवारी, कम्युनिटी प्रोसेस ऑफिसर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र० लखनऊ।

7. डा० राजिकशोर त्रिपाठी, प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,

प्रेषक.

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद- एटा।

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एम. एण्ड ई. भ्रमण / 2018–19 / 105 /

दिनांक 2 208.2019

विषय-दिनांक 24 से 27 जून, 2019 में राज्य स्तरीय भ्रमण दल द्वारा किये गये सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदया.

कृपया मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या–SPMU/NHM/ M&E/2019-20/18/2220 दिनांक 12.06.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मिशन निदेशक के निर्देशों के क्रम में राज्य स्तरीय दल द्वारा दिनांक 24 से 27 जून, 2019 तक जनपद एटा का भ्रमण कर जनपद में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया तथा समीक्षा कर विस्तृत आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य स्तरीय दल द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित है कि उक्त आख्या पर आवश्यक कार्यवाही करते हेतु बिन्दुवार अनुपालन आख्या राज्य स्तर पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(मो० अताउर रब) उपमहाप्रबन्धक, कम्यू०प्रो० नोडल अधिकारी-अलीगढ

पत्रांकः एस.पी.एम.यू. / कम्यू.प्रो. / एम. एण्ड ई. भ्रमण / 2018-19 / 105 / ५५७) - ८ तददिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित-

- 1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, जनपद एटा।
- 3. समस्त महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से कि अपने कार्यक्रम से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही हेत् जनपद को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 4. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ, मण्डल- अलीगढ।
- 5. मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, अलीगढ।
- 6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन०एच०एम०, जनपद एटा को इस निर्देश के साथ कि उक्त आख्या का अनुपालन कराना स्निश्चित करें।

(मो० अताहर रब) उपमहाप्रबन्धक कम्यू०प्रो०

नोडल अधिकारी-अलीगढ